

राज्य निर्वाचन आयोग

उत्तराखण्ड



सत्यमेव जयते

पत्रांक :

479

/रा.नि.आ. 3/1419/2013

दिनांक 27/4/2013

राज्य निर्वाचन आयोग

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-411/रा0नि0आ0-3/1419/2013 दिनांक 23.04.2013 जो नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2013 में नगर निगम, देहरादून के नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून को वस्तुस्थिति एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु प्रेषित किया गया था, के अनुपालन में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-1497/आ0ले0-2013 दिनांक 24.04.2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि इस प्रकरण में रिटर्निंग आफिसर द्वारा पत्रांक-169/ना0स्था0नि0निर्वा0/2013 दिनांक 15.04.2013 दिये गये नोटिस के प्रत्युत्तर में श्री यशपाल आर्य द्वारा कहा गया है कि उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उपचार हेतु उन्हें दून चिकित्सालय जाना था जैसे ही वे दून चिकित्सालय के समीप पहुंचे नगर निगम, देहरादून से मेयर पद के कांग्रेस प्रत्याशी श्री सूर्यकान्त धस्माना नामांकन करने हेतु कचहरी परिसर जा रहे थे, उनके आग्रह पर वह अपने शासकीय वाहन को छोड़कर पैदल कचहरी परिसर आ गये। अतः उनके द्वारा किसी प्रकार भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह सब मात्र संयोगवश हुआ है।

उक्त प्रकरण का आयोग स्तर पर गम्भीरता से संज्ञान लिया गया। श्री यशपाल आर्य सत्ताधारी कांग्रेस दल के, उत्तराखण्ड प्रदेश के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं तथा वह राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी हैं। निर्वाचन अवधि में जब नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है जिसमें मंत्रीगण द्वारा सरकारी गाड़ियों सहित तंत्र एवं कार्मिकों का उपयोग निर्वाचन कार्य के लिए किया जाना प्रतिबंधित है, श्री आर्य द्वारा अपने स्वास्थ्य परीक्षण को उनके दल के मेयर प्रत्याशी के नामांकन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए था। आयोग की अपेक्षा थी कि वह आदर्श आचार संहिता के अनुरूप अनुकरणीय व्यवहार करेंगे। परन्तु इस प्रकरण में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

आयोग प्रस्तुत प्रकरण को इस अपेक्षा से निक्षेपित करते हैं कि श्री आर्य भविष्य में इस तरह की स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।

(हरिश्चन्द्र जोशी) 27/4/13
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या- /रा0नि0आ0-3/1419/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय), देहरादून को सूचनार्थ एवं इस आशय से कि वह इस आदेश की एक प्रति श्री यशपाल आर्य को प्राप्त कराकर आयोग को अविलम्ब संसूचित करें।

(हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।